स्टेट बैंक आफ इन्दौर द्वारा लाटरी के टिकटों की बिक्री

3822. **श्री कैलाश पति मिश्र** . क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या यह सच है कि स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर के मुख्यालय ने लाटरी के टिकट बेचे जाने के संबंध में जून 1985 में परिपत्र जारी किए थे ;

(ख) यदि हां, तो किन नियमों के अधीन लाटरी के ऐसे टिकट बैंक की शाखाओं के माध्यम से बेचे गए थे ;

(ग) लाटरी टिकटों की बिक्री के लिए परिपत्र जारी करने के संबध में जिम्मेदार अधिकारी का नाम क्या है तथा सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाई की है ; और

(घ) इन्दौर मुख्यालय में लाटरी टिकटों की बिक्री में शामिल पाए गए बैंक अधिकारियों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) . (क) से (ख) स्टेट बैंक आफ इंदौर के अनुसार, बैंक के प्रधान कार्यालय ने मई, 1985 में, बैंक की 162 शाखाओं और 2 अंचल कार्यालयों के नाम, इंदौर टेबल टेनिस ट्रस्ट की ओर से इंदौर में टेबल टेनिस स्टेडियम का निर्माण करने के वास्ते धन इकट्ठा करने में मदद करने के लिए लाटरी के टिकट बेचने के वास्ते एक परिपत्र जारी किया था।

बैंककारी विनियमन अधिनियम के अनुसार, बैंक वे सभी कार्य कर सकता है, जो उसके उन्नयन अथवा प्राप्ति में अनुषंगी अथवा सहायक हों । स्टेट बैंक आफ इंदौर ने सूचित किया है कि इस कार्य का प्रयोजन बैंक के वास्ते जमाराशियां जुटाना और बैंक के परिचालन क्षेत्र में खेल संवर्धन को समर्थन प्रदान करके सदभाव पैदा करना था । यह सेवा बिना किसी कमीशन के प्रदान की गई थी ।

चूंकि लाटरी टिकट बेचने का प्रस्ताव बैंक द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया था, इसलिए बैंक के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाई करने का सवाल पैदा ही नहीं होता ।

Misappropriation in Central Bank of India, Ratlam Branch

3823. SHRI KAILASH PATI MISHRA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether some misappropriation in Demand Draft for purchase of machine ries took place in the Central Bank of India, Rattlam branch during the year 1981;

(b) if so, the details thereof and names of employees found guilty; and

(c) the follow-up action taken against them uptill now?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) Central Bank of India has reported that no such instance of misappropriation in D.D. took place at its Ratlam Branch during the year 1981.

(b) and (c) Do not arise.

Delinking power and irrigation from Budget

3824. SHRI TALARI MANOHAR: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to delink power and irrigation from the Budget; and

(b) if so, what are the details of the proposal and what are the reasons to take such a decision?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EXPENDITURE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI B. K. GADHVI): (a) No, Sir,

(b) Does not arise.